राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7697/2014

सुलेन्द्र कुमार

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री हिम्मत जग्गा
		सुश्री तानिया चुघ
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री सरवन कुमार
		श्री राजेश पुनिया

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

28/05/2024

1. याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका दायर करके अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की है कि वे दृष्टिहीन/कम दृष्टि ('एलवी') श्रेणी में वरिष्ठ शिक्षक ग्रेड II (विज्ञान) के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करें।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि विभिन्न विषयों में वरिष्ठ शिक्षक ग्रेड II के पद के लिए दिनांक 02.08.2013 का विज्ञापन (अनुलग्नक 3) जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के नाते, विज्ञान विषय में इसके लिए आवेदन किया और इस धारणा के तहत कि उसने अपनी श्रेणी को दृष्टिहीन/ कम दृष्टि के रूप में भरा है।

2.1 याचिकाकर्ता परीक्षा में उपस्थित हुआ और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम चयनित उम्मीदवार के रूप में नहीं दिखाया गया है। 18.09.2014 को, प्रतिवादी संख्या 2 ने कट-ऑफ अंकों के लिए एक सूची (अनुलग्नक 8) जारी की। हालांकि, अंधे/कम दृष्टि श्रेणी के लिए कोई कट-ऑफ अंक नहीं दिखाए गए, जो दर्शाता है कि उक्त श्रेणी में प्रतिवादियों के

पास कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। और यदि यह सच है, तो याचिकाकर्ता उक्त श्रेणी में सबसे योग्य उम्मीदवार है। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत के लिए प्रतिवादी संख्या 2 से अभ्यावेदन (अनुलग्नक नहीं) के माध्यम से संपर्क किया, लेकिन व्यर्थ। इसलिए, यह याचिका।

3. जवाब में बचाव पक्ष ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कम दृष्टि श्रेणी के विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति के लिए कोई पद आरक्षित न होने के बारे में विरोध किए बिना चयन प्रक्रिया में भाग लिया, जिसे विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, एक असफल मौका लेते हुए, याचिकाकर्ता को अपनी श्रेणी के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करने की कार्रवाई को दोष देने से रोका जाता है।

3.1. दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के नियम-32 के प्रावधानों के अनुसार, कुछ श्रेणियों के लिए कुछ पदों पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए पदों की पहचान की जाती है। इस प्रयोजन के लिए, दिव्यांगता की प्रकृति को ध्यान में रखा गया है और दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। शिक्षक ग्रेड-II (विज्ञान) विषय के लिए 'एल.वी.' की श्रेणी को शामिल नहीं किया गया है और केवल लोकोमोटिव दिव्यांग श्रेणी और सेरेब्रल पाल्सी ('सी.पी.') के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। विज्ञान विषय के लिए ब्लैक बोर्ड वर्क की आवश्यकता है। इस मामले के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को एससी-उम्मीदवार के रूप में माना गया था और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में नहीं था और वह पात्रता मानदंडों में नहीं आता है। इसलिए, याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है और याचिका खारिज होने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. यहाँ जो कुछ घटित हुआ है वह एक बहुत ही संक्षिप्त विवाद है कि क्या याचिकाकर्ता जो कि 'कम दृष्टि' (एल.वी.) श्रेणी से संबंधित है, शिक्षक ग्रेड II (विज्ञान) के पद के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण के तहत विचार किए जाने का हकदार है?

6. पहली नज़र के सार में इसका उत्तर सकारात्मक लग सकता है, लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।

7. आइए देखें कि कैसे।

8. याचिकाकर्ता ने न केवल यह जानते हुए भी कि विज्ञापन के अनुसार एल.वी. श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं था, बल्कि असफल होने के बाद भी वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें चुनौती दी गई है कि उक्त श्रेणी में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए था। केवल इसी आधार पर, सामान्यतः यह न्यायालय याचिका को खारिज करने के लिए इच्छुक होता, क्योंकि कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि एक असफल उम्मीदवार भाग लेने के बाद खेल के नियमों को चुनौती नहीं दे सकता।

9. राज्य द्वारा अपनाए गए इस रुख से स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है कि शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में विकलांग व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू किया जाता है और इसे बनाए रखने के लिए प्रत्येक चयन प्रक्रिया को आवश्यक रूप से विभिन्न श्रेणियों को ध्यान में रखना होगा ताकि विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के नियम 32 के तहत विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए 3% का संतुलन बनाए रखा जा सके। उक्त नियम को उपयुक्त मानते हुए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "32. विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकने वाले पदों की पहचान- उपयुक्त सरकारें-
>
> (क) प्रतिष्ठानों में ऐसे पदों की पहचान करेंगी, जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है;
> (ख) तीन वर्ष से अधिक नहीं के आवधिक अंतराल पर, पहचान किए गए पदों की सूची की समीक्षा करेंगी और प्रौद्योगिकी में विकास को ध्यान में रखते हुए सूची को अद्यतन करेंगी।"

10. विचाराधीन विज्ञापन उपर्युक्त नियम के अनुरूप है और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, न तो विज्ञापन को चुनौती दी गई है और न ही नियम को।

11. उपरोक्त नियमों के आलोक में प्रश्न का उत्तर अनिवार्य रूप से नकारात्मक में दिया जाना चाहिए क्योंकि विज्ञापन में 'एल.वी.' के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

12. याचिकाकर्ता का यह मामला भी नहीं है कि 'एल.वी.' से संबंधित किसी अन्य उम्मीदवार को उक्त विकलांगता का लाभ दिया गया हो और याचिकाकर्ता के साथ पक्षपातपूर्ण भेदभाव किया गया हो। 'एल.वी.' से संबंधित सभी उम्मीदवारों के साथ

याचिकाकर्ता के समान ही व्यवहार किया गया है और इसलिए इस आधार पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

13. इस आधार पर, तत्काल याचिका खारिज की जाती है।

14. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।